

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
850 / 2024

दायर दिनांक  
30.08.2024  
उनवान


निर्णय दिनांक  
12.09.2024

1. रूससतम पिता नत्थे खां मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. रफीका पत्नी मो0 कासिम पठान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
2. वहीदाबानु पत्नी रसीद मोहम्मद पठान
3. दशरथ कंवर पत्नी नरपता सिंह राठोड जाति राठोड आयु वयस्क निवासी बापुनगर भीलवाडा
4. प्रभू लाल पिता नन्दराम माली जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
5. राधेश्याम पिता पन्ना लाल माली जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
6. सोहनी देवी पत्नी गोपीलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
7. कैलाशचन्द्र पिता रामेश्वर माली जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
8. लालाराम पिता नन्दराम माली जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
9. खैरून बानू पत्नी लियाकत अली सोरगर जाति सोरगर आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
10. मुमताज पत्नी खाजू हूसैन सोरगर जाति सोरगर आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
11. कसलूम पुत्री अब्दूल मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
12. खाजू मोहम्मद पुत्र इब्राहीम मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा
13. जैतून पुत्री अब्दूल मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

14. बशीरन पुत्री अब्दूल मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. मुरादअली पुत्र अब्दूल मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
16. महरून पुत्री अब्दूल मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. रमजी पुत्री अब्दूल मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. लियाकत अली पिता ईब्राहीम मुसलमान जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगी लाल सेन  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :-  
—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 242 की अभिलिखित आराजियात 5859, 5863, 5878 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3657 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौंसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मगन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

  
उपस्थित अधिकारी  
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 242 की अभिलिखित आराजियात 5859, 5863, 5878 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3657 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा